राज्य कार्य योजना, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग (एस.एस.एस.) के अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी (एस.एच.एल.एस.सी.) की बैठक दिनांक 30.03.2021 का कार्यवृत्त-

---

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा तैयार किये गये स्टेट प्रोग्राम (एस.एस.एस.) के अनुमोदन हेतु दिनांक 30-03-2021 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित **SHLSC** की बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. सुश्री राधा एस0 चौहान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. श्री विवेक, विशेष सचिव नियोजन एवं निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. श्री सुशील चन्द्रा, वैज्ञानिक SF हेड CIP&DM डिवीजन, आर0एस0ए0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. डॉ. दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. श्री विनोद कुमार, उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या), प्रभाग मुख्यालय, लखनऊ।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा एस.एस.एस. योजना के संक्षिप्त विवरण से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य योजना पर एस.एच.एल.एस.सी. के अनुमोदन की अपेक्षा की गई। तत्पश्चात् बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

(1) बैठक में पूर्व अनुमोदित राज्य कार्यक्रम में SDG से संबंधित 6 activities को सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त SDG से संबंधित activities को सम्मिलित करने के फलस्वरुप राज्य कार्यक्रम के विभिन्न inter व intra items /activities के पूर्व के allocations में समायोजन पर भी सहमति व्यक्त की गयी। भारत सरकार द्वारा योजना अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गयी है। अतः SDG से सम्बन्धित activities में योजना अवधि 30 जून 2021 तक जो भी धनराशि भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार व नीति आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी उसका अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) एजेण्डा बिन्दु-2 में rename के सम्बन्ध में बैठक में सहमति व्यक्त की गयी कि अध्ययन का नाम rename करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पूर्व मे दिनांक 03-11-2015 को स्टेट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी (एस.एच.एल.एस.सी). द्वारा अनुमोदित राज्य कार्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन का नाम रहने दिया जाय।

(3) मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन व धनराशि के व्यय मे सुसंगत तकनीकी व वित्तीय नियमों/शासनादेशों के प्राविधानो एवं भारत सरकार की guidelines का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) 'Support for Statistical Strengthening' की राज्य योजना को दीर्घकालीन योजना प्रभाग से प्राप्त SDG से संबंधित प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित राज्य कार्य योजना पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Thu Apr 22 17:24:04 IST 2021
Reason:Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्याः /पैतीस-2-2021
लखनऊः दिनांकः ~~अप्रैल~~ 12 मई, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
4. उप महानिदेशक (SSPU), साँख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री अजय अग्रवाल, कार्यवाहक निदेशक, आर.एस.ए.सी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।